भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1705
गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024/14 अग्रहायण,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तन अवसंरचना का विकास

1705. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तन अवसंरचना के विकास द्वारा पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन और पारिस्थितिकि प्रभाव का न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;
(ख) क्या सरकार विमानपत्तन के विकास के दौरान पर्यावरण नियमों का अनुपालन को लागू करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विमानपत्तन अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व कोई विशष्टि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के नियोजन और विकास में पर्यावरण संबंधी कारक महत्वपूर्ण हैं। इन कारकों में, संधारणीयता को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, हवाईअड्डा विकासकर्ता को ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के लिए विकास कार्य आरंभ करने से पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक पर्यावरणीय क्लियरेन्स (ईसी) प्राप्त करना अपेक्षित है। मौजूदा हवाईअड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में भी, लागू प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करने और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

******